

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मध्य इतिहासलय जज

12-2-2021

~~वसुधा लाल के अ-1~~
~~गर्भिणी ने अपने 2/3 हिस्सा को~~
~~ने समझ-बूझ करके का इन्फेन्डर~~
~~किया गया है, ने समझ ही सम्पूर्ण~~
~~करके की सभी कार्रवायों की एक~~
~~साध करने का उपयुक्त है,~~
~~अविभाजित कार्रवायों के हिस्सों~~
~~में ने समझ ही किये जाने के~~
~~उपलक्ष्य करने योग्य नहीं है,~~
~~जिहाजा गर्भिणी के इन्फेन्डर को~~
~~इसी स्टेज पर अन्वीकार कर~~
~~करके किया गया है।~~
~~पश्चात्ती केवल शुद्ध होकर~~
~~नष्ट के कर हो~~



उपनिवेश अधिकारी
(D.P.O.) बालोतरा